

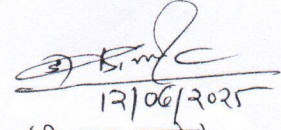
राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय: मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर
सी-6, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: मुनिकाबा/2025/802

दिनांक: 12-06-25

राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 12बी के तहत गार्डलाइन

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अनुपालन लेखा सिविल एवं वाणिज्यिक) वर्ष 2021-22 (2024 का प्रतिवेदन संख्या भाग-5 के भाग-1) में कारखानों द्वारा उनके नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जावे तथा इसकी सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी पालना में निर्देशित किया जाता है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7ए(2)(सी) तथा 111ए(ii) के क्रम में कारखाना प्रबंधन उनके कारखाने में नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें तथा वार्षिक विवरणी के साथ कारखाना प्रबंधन द्वारा उनके कारखाने में नियोजित श्रमिकों को कैलेंडर वर्ष में दिये गए सुरक्षा प्रशिक्षणों की संख्या एवं श्रमिकों की संख्या विभाग को प्रस्तुत करें।


12/06/2025

(डी. एल. डामोर)

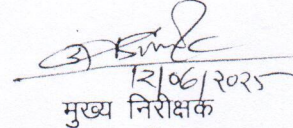
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: मुनिकाबा/2025/803-806

दिनांक: 12-06-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक.....
- ✓ 2. आई.टी शाखा को राजफैब वेब एप्लीकेशन में उक्त सूचना हेतु आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु।
3. लेखा शाखा
4. वरिष्ठ निरीक्षक (मुख्यालय)
5. गार्ड पत्रावली


12/06/2025

मुख्य निरीक्षक

कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर